न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

मुकदमा नम्बर 23 / 2021 निर्णय दिनांक 19.03.2021

शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

— प्रार्थी —

बनाम

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।
2. शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ।
3. खेताराम पुत्र मांगीलाल जाति मेघवाल निवासी समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर।

— अप्रार्थीगण —

उपस्थिति —

1. श्री रणवीर सिंह अभिभाषक वादी
2. स्टेट की और से पैरोकारराज
3. प्रतिवाद संख्या 2 ता 3 के विरूद्ध एकतरफा

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

यह प्रार्थना पत्र शाखा प्रबन्धक, बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि अप्रार्थी संख्या 3 की 1/3 हिस्से की खातेदारी के खेत खसरा नम्बर 417 तादादी 3.37 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 578 तादादी 8.13 हैक्टेयर बारानी वाकेरोही समन्दसर पटवार हल्का समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ में स्थित है। अप्रार्थी सं. 3 ने अपनी उपरोक्त 1/3 हिस्से की खातेदारी भूमि पर के.सी.सी. व अन्य ऋण उद्देश्य हेतु प्रार्थी बैंक के यहां सन् 2017 में आवेदन किया जिस पर प्रार्थी बैंक शाखा द्वारा 03 मार्च 2017 को उक्त कृषि भूमि के सम्बन्ध में (प्रार्थी बैंक के नाम) रहननामा दर्ज करने हेतु 6 (1) जारी किया। अप्रार्थी संख्या 3 ने उक्त 6 (1) अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में प्रस्तुत कर किया जिस पर अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय से उक्त 6 (1) को हल्का पटवारी को भेजा गया व हल्का पटवारी ने सही रूप से नामान्तरण संख्या 899 दिनांक 03.03.2017 को दर्ज रजिस्टर कर तहसील कार्यालय में पेश किया जो बाद पंजीबद्ध एक प्रति प्रार्थी बैंक के कार्यालय को भिजवाई गई। उक्त 6 (1) के आधार पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी सं. 3 को के.सी.सी. व अन्य कृषि ऋण प्रदान कर दिया गया। कुछ समय बाद प्रार्थी बैंक द्वारा ऑन लाईन के माध्यम से अप्रार्थी सं. 3 के खसरे की सर्च की गई तो पता चला कि उक्त खसरे को राजस्व अमला द्वारा अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ) के नाम गलत रूप से रहन दर्ज कर दिया गया है। उक्त नामान्तरण सं. 899 के द्वारा बिलकुल ही गलत रूप से खसरा नम्बर 417 व 575 रोही समन्दसर में **अप्रार्थी संख्या 2 बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज कर दिया गया है जबकि अप्रार्थी सं. 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के यहां कोई ऋण आवेदन नहीं किया था। उक्त खसरा भूमि का नामान्तरण सही रूप से प्रार्थी बैंक **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ** के नाम दर्ज होना चाहिए था। प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 3 को भी कहा कि आपने मेरी बैंक संस्था में [illegible] व आपको ऋण प्रदान किया गया है परन्तु आपके हिस्से के खेत पर रह[illegible]तकाल हमारी बैंक शाखा के नाम अभी तक दर्ज नहीं हो पाया है [illegible] इन्तकाल गलत रूप से बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा [illegible] हो गया, आप इसे दुरूस्त करवाओ तो अप्रार्थी संख्या 3 ने कहा कि 6 (1) आपने भरकर दिया था मैंनें तहसील कार्यालय में पेश कर दिया अब रहन का इन्त[illegible]ल किस बैंक के नाम [illegible] हुआ यह मुझे पता नहीं है व ना ही मेरी कोई गलती है, आप जानों व आपका काम जाने। प्रार्थी बैंक को उक्त गलत रहन के बारे में पता चलने पर प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी संख्या 1 के कार्यालय में लिखित प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 को प्रस्तुत कर **बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़** के स्थान पर प्रार्थी बैंक **बड़ौदा**

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested

श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति, श्रीडूंगरगढ़ दर्ज कर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड शुद्धिकरण करने का निवेदन किया तो अप्रार्थी 1 ने प्रार्थी बैंक को कहा कि जिस प्रकार से यह गलती हुई है उसके लिए आपको सक्षम न्यायालय से आदेश लेकर आना होगा, बिना न्यायालय के आदेश के राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण करना संभव नहीं है, इस प्रकार अप्रार्थी 1 ने शुद्धिकरण करने से स्पष्ट इन्कार कर दिया। राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में उक्त संशोधन होने से अप्रार्थी संख्या 1 के हितों पर कोई विपरीत असर नहीं पड़ेगा जबकि इसके विपरीत सही रूप से इन्तकाल दर्ज नहीं होने से प्रार्थी बैंक को भारी अपूर्णीय क्षति हो रही है व प्रार्थी बैंक अप्रार्थी सं. 3 से ऋण की वसूली करने में भी असमर्थ हो गया है। अप्रार्थी संख्या 3 की खातेदारी के खेत का रहन का इन्तकाल गलत रूप से अप्रार्थी संख्या 2 के नाम दर्ज चला आ रहा है जबकि अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी संख्या 2 के यहां ना तो ऋण आवेदन किया है ना ही अप्रार्थी संख्या 2 द्वारा कोई 6 (1) ही जारी किया व ना ही अप्रार्थी संख्या 3 ने अप्रार्थी सं. 2 के यहां से कोई ऋण ही प्राप्त किया है। जमाबन्दी व धारा 6 (1) के अधीन की घोषणा एवं प्रार्थी बैंक द्वारा शुद्धिकरण करने के निवेदन का प्रार्थना पत्र दिनांक 08.01.2021 की प्रतियां प्रस्तुत है। वर्णित खसरान भूमि ग्राम समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ जिला बीकानेर में स्थित है इसलिए न्यायालय श्रीमान् को उक्त प्रार्थना पत्र की सुनवाई का पूर्ण श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार प्राप्त है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि खेत खसरा नम्बर 417 तादादी 3.37 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 578 तादादी 8.13 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ़ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में अप्रार्थी सं. 3 के हिस्से की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ़) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक **(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ़)** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड में शुद्धिकरण करने का आदेश अप्रार्थी संख्या 1 को दिया जावे और उसकी पालना अप्रार्थी संख्या 1 से करवाई जावे। श्रीमान्जी की अति कृपा होगी।

प्रार्थी के उक्त प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 ता 03 बावजूद नोटिस तामिल अनुपस्थित रहने के कारण इनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।प्रतिवादी संख्या 01 (पैरोकार राज स्टेट की तरफ से) ने जवाब पेश किया। यदि प्रार्थी का नाम शुद्ध किया जाता है तो हमे कोई आपति नही है। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। स्टेट को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार करनें में कोई आपति नहीं होने के कारन प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

आदेश

खेत खसरा नम्बर 417 तादादी 3.37 व खसरा नम्बर 578 तादादी 8.13 हैक्टेयर वाकेरोही समन्दसर तहसील श्रीडूंगरगढ के राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड मे अप्रार्थी सं. 3 की भूमि पर अप्रार्थी संख्या 2 (बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा श्रीडूंगरगढ) के नाम दर्ज रहन के अंकन को हटाया जाकर उसकी जगह प्रार्थी बैंक **(बड़ौदा राजस्थान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा पंचायत समिति श्रीडूंगरगढ)** के नाम रहन का इन्तकाल दर्ज किया जाकर राजस्व रिकार्ड व ऑन लाईन रिकार्ड मे शुद्धिकरण करने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ [illegible] जाते है। रहन मुताबिक आदेश यथावत रहेगा। तहसीलदार, श्रीडूंगरगढ [illegible] राजस्व रिकार्ड में शुद्धि करे।

आदेश आज दिनांक [illegible] टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से [illegible] गया। पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। आदेश सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:18 IST
Reason: SelfAttested

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूंगरगढ